मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 1991 (आषाढ़ 17, 1913)

समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री मोती कश्यप, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम सिंगारपुर तथा ओडारी में वनकर्मियों द्वारा तेन्दूपत्ता क्रय में की गई अनियमितताओं की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, श्री धनेश पटिला, ठा. दरबार सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले में आंत्रशोथ की बीमारी से कई लोगों की मृत्यु होने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, डा. गोविन्द सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, गुना जिले के ग्राम करके की महू में अशुद्ध पेयजल पीने से चार लोगों की हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल वोरा, सदस्य, प्रदेश में राजस्व कर्मियों की हड़ताल से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3)के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

5- प्राक्कलन समिति के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उपनियम (2) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

6- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

7- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन.

श्री बलीराम कश्यप, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 1991-92 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

8- वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

निर्धारित समय			
1 घन्टा	(1)	मांग संख्या 6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 31	योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग
2 घन्टे 30 मिनिट	(2)	मांग संख्या 23	जल संसाधन विभाग
		मांग संख्या 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		मांग संख्या 48	नर्मदा घाटी विकास
		मांग संख्या 40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 53	आयाकट विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या 17	सहकारिता
		मांग संख्या 59	सहकारिता विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा 30 मिनिट	(4)	मांग संख्या 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना.

भोपालः

दिनांक : 6 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा